PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, New Delhi
Friday 13th November 2015, Page: 7
Width: 20.91 cms, Height: 14.69 cms, a4r, Ref: pmin.2015-11-13.49.87

दवाओं के रिएक्शन की शिकायत एक क्लिक में 'एडीआर रिपोर्टिंग' एप से

प्रशांत गुप्ता >> रायपुर (छत्तीसगढ़)

दवाओं का दुष्प्रभाव जान तक ले सकता है। जान न भी जाए तो दवा शरीर को भारी नुकसान पहुंच सकती है। इसलिए दवा के दुष्प्रभाव की जांच बेहद जरूरी है। संभव है कि अगर यह दवा बाजार में रही तो दूसरे मरीज इसके शिकार हो सकते हैं। ऐसी ही दवाओं की शिकायत के लिए भारत सरकार के नेशनल को-ऑर्डिनेटर सेंटर फार्मेकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया (एनसीसी-पीवीपीआई) ने 'एडीआर रिपोर्टिंग' एप लॉन्च किया है। सिर्फ एक क्लिक में शिकायत एडवर्स ड्रग रिपोर्टिंग (एडीआर) सेंटर को भेजी जा सकती है। प्रदेश में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) और पं. जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल मेडिकल कॉलेज में भी एडीआर सेंटर स्थापित किए गए हैं, जहां पहुंचकर शिकायत बाई हैंड दर्ज कराई जा सकती है।

रायपुर एम्स और मेडिकल कॉलेज रायपुर के फॉर्मेकोलॉजी विभाग में सेंटर संचालित हो रहे हैं। रायपुर एम्स में तो केंद्र से एक अधिकारी नियुक्त किया गया है। दवाओं के दुष्प्रभाव पर जागरूकता लाने के लिए डब्ल्यूएचओ ने सन 1982 से प्रोग्राम शुरू किया था। 2004 में इसे अपडेट करके डिजिटिल नेशनल फॉर्मो विजिलेंस प्रोग्राम शुरू किया गया, जिसकी फंडिंग वर्ल्ड बैंक से की गई। जानकारी के मुताबिक प्रोग्राम के जरिए दवाओं के दुष्प्रभाव के डिजिटल डाटा एकत्रित किया जाने लगा। 2010 में इसका नया नाम फार्मो विजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया रखा गया। भारत में 179 एडीआर सेंटर हैं, जहां दवाओं के दुष्प्रभाव की न सिर्फ मॉनिटरिंग होती है, बल्कि सेंटर में दवाओं की टेस्टिंग भी की जाती है। रिपोर्ट केंद्र को भेजी जाती है।

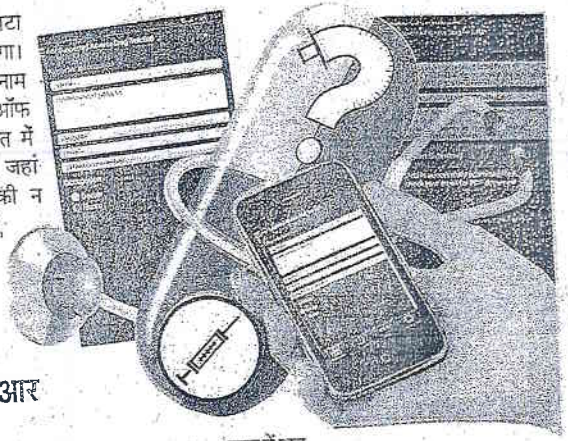

छग में हैं दो एडीआर सेंटर

'नईदुनिया' को एम्स और मेडिकल कॉलेज के फार्मोकोलॉजी विभाग के डॉक्टर्स-प्रोफेसर्स ने बताया कि एडीआर सेंटर्स में दवाओं के दुष्प्रभाव की शिकायत आती है, उसके आधार पर संबंधित दवा के फॉर्मूले का अध्ययन किया जाता है। इसके आधार पर यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि फॉर्मूले में कौन-सा केमिकल है, जिसके कारण मरीज पर दवा का दुष्प्रभाव हुआ। टेस्ट में फाइंडिंग के बाद रिपोर्ट केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और वहां से डब्ल्यूएचओ को भेजी जाती है। एक और स्तर पर टेस्टिंग के बाद दवा को प्रतिबंधित किया जाता है। भारत में अब तक लगभग 17 दवाओं के फॉर्मूले प्रतिबंधित हो चुके हैं।

ऐसे की जा सकती है ऑनलाइन शिकायत

एन्ड्राइड मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर 'एडीआर रिपोर्टिंग' एप को लोड करें, यह फ्री है। इसे लोड करने के बाद एक फॉर्म ओपन होगा, जिसमें दवा के बारे में जानकारी मांगी जाएगी, इसे भरकर भेजा जा सकता है।

दवा के दुष्प्रभाव से गई प्रीति साहू की जान

गुढ़ियारी निवासी 15 साल की प्रीति साहू की मौत का कारण दवाओं का दुष्प्रभाव ही रहा। बुखार की दवा से उसका पूरा शरीर काला पड़ गया, 70 दिन आईसीयू में रहने के बाद उसने दम तोड़ दिया। निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने कहा कि दवाओं का ही रिएक्शन था। 'नईदुनिया' ने मुद्दा उठाया, शिकायत गुढ़ियारी थाने में गुढ़ियारी के एक संवारत डॉक्टर्स के विरुद्ध हुई, जिसकी जांच जारी है।

रायपुर एम्स और पं. जेएनएम मेडिकल कॉलेज को एडीआर सेंटर बनाया गया है। सेंटर में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, फार्मा कंपनी और मरीज शिकायत कर सकते हैं। एडीआर सेंटर में दवाओं का परीक्षण होगा, अगर संदेह भी है तो इसकी रिपोर्टिंग भारत सरकार को की जानी है। अभी दवाएं कितनी सुरक्षित हैं, इसका कोई डाटा मौजूद नहीं है। इससे डाटा भी तैयार होगा।

-डॉ. सूर्यप्रकाश धनेरिया, डीन, एम्स रायपुर

ADR reporting App.
Regulatory